

दिनांक 05 Sept 2023 को कॉउन्सिल के पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु बैठक हुई। निर्वाचन के बाद निम्न सदस्य कॉउन्सिल के पदाधिकारी नियुक्त हुए।

फार्मसी एक्ट 1948 की धारा 23 के अधीन (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष)


- (1) श्री अरुण कुमार मिश्रा - अध्यक्ष
- (2) श्री राहुल तिवारी - उपाध्यक्ष

फार्मसी एक्ट 1948 की धारा 27 के अधीन 3 कार्यकारिणी सदस्य

- (1) श्री विजय पारख - कार्यकारिणी सदस्य
- (2) डॉ चंचल दीप कौर - कार्यकारिणी सदस्य
- (3) श्री निकेश कुमार देवांगन - कार्यकारिणी सदस्य

फार्मसी एक्ट 1948 की धारा 3 (g) के अधीन फार्मसी कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य

- (1) डॉ आनंद महलवार - फार्मसी कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य


Dr. Shekhar Verma
Registrar
Chhatisgarh State Pharmacy Council
Raipur (C.G.)